रजिस्ट्री सं० डी० (डी)-72
REGISTERED No. D.(D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

GOVT OF INDIA

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 238] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 21, 1978/अग्रहायण 30, 1900
No. 238] NEW DELHI, THURSDAY, DEC. 21, 1978/AGRAHAYANA 30, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 94-आई टी सी (पी एन)/78

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 1978

विषय :—महानिदेशक तकनीकी विकास के पास पंजीकृत औद्योगिक एककों द्वारा पूंजीगत माल के आयात के लिए आवेदनपत्र भेजना।

[मिसिल सं. आई पी सी/63/38/78]—वाणिज्य विभाग की सार्वजनिक सूचना सं. 50-आई टी सी (पी एन)/78 दिनांक 18 जुलाई, 1978 में दिए गए उपबन्धों की ओर ध्यान दिलाया जाता है, जिसके अनुसार महानिदेशक तकनीकी विकास, नई दिल्ली के

खाते में सूचीबद्ध एककों द्वारा 10 लाख से कम मूल्य के पूंजीगत माल के आयात के लिए आवेदनपत्र सम्बन्धित क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारियों के बजाय, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली को भेजने हैं।

2. इस कार्य के विकेन्द्रीकरण के लिए आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। इसलिए, इसके बाद महानिदेशक तकनीकी विकास के खाते में सूचीबद्ध एककों को आयात-निर्यात क्रियाविधि हैंडबुक, 1978-79 की उपकंडिका 140(1) में यथा निर्धारित 10 लाख रुपए से कम मूल्य के पूंजीगत माल के आयात के लिए संबंधित क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारी से आवेदन करना चाहिए।

का. वें. शेषाद्रि, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES & COOPERATION

(Department of Commerce)

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 94-ITC(PN)/78

New Delhi, the 21st December, 1978

Subject : Submission of applications for import of Capital Goods by Industrial Units registered with DGTD.

[File No. IPC/63/38/78].—Attention is invited to the provisions made in the Department of Commerce Public Notice No. 50-ITC(PN)/78, dated the 18th July, 1978, according to which applications for import of capital goods for a value not exceeding Rs. 10 lakhs are to be made to the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi, instead of the regional licensing authorities concerned, by the units borne on the books of the DGTD, New Delhi.

2. The necessary administrative arrangements for decentralisation of this work have since been made. Therefore, the units borne on the books of DGTD should, hereafter, apply to the regional licensing authority concerned for the import of Capital Goods of a value not exceeding Rs. 10 lakhs as laid down in sub-para 140(i) of the Hand Book of Import-Export Procedures, 1978-79.

K. V. SESHADRI, Chief Controller of Imports & Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978